

सुचना अधिकार कानून 2005

FORM - A

SEE RULE 3 (1)

सेवा में,

लोक सुचना पदाधिकारी

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भारत सरकार नई दिल्ली

विषय :- सुचना अधिकार कानून 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमाणित सुचना निर्गत करे ।

कि कुछ मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी नया कनेक्शन 16 वर्ष से जादा आयु और अठारह वर्ष से कम आयु होने पर जारी कर रही है । इससे सम्बंधित निम्नलिखित कंडिकाबार प्रश्नों के उत्तर देने कि कृपा करे ।

(1) कि मैं जानना चाहता हु कि भारत सरकार के नियम (कानून) अनुसार नया मोबाइल कनेक्शन लेने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है । नियमावली निर्गत करे ।

(2) कि जो कानून भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण बनाती है वो सब मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी पर लागु होता है तो फिर कुछ मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी नया कनेक्शन 16 वर्ष से जादा आयु और अठारह वर्ष से कम आयु होने पर जारी क्यों कर रही है अगर कानून में नया मोबाइल कनेक्शन लेने हेतु न्यूनतम आयु 16 वर्ष से जादा और अठारह वर्ष से कम आयु तय कि गई है तो फिर सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी नया मोबाइल कनेक्शन 16 वर्ष से जादा और अठारह वर्ष से कम आयु में देने हेतु बाध्य है ।

(3) कि कुछ मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी 16 वर्ष से जादा और अठारह वर्ष से कम आयु में नया मोबाइल कनेक्शन दे रही है और कुछ मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी 16 वर्ष से जादा और अठारह वर्ष से कम आयु में नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दे रही ऐसा क्यों कानून तो सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के लिए एक है ।